

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के शैक्षिक तथा सामाजिक विचारों का अध्ययन: वैचारिक अधिष्ठान, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और समकालीन प्रासंगिकता

नरेशपाल सिंह¹

शिक्षा संकाय
आई.आई.एम.टी. विश्वविद्यालय, मेरठ

डॉ. नीरज शर्मा²

सहायक प्राध्यापक

सारांश:

डॉ. भीमराव अम्बेडकर (1891–1956) आधुनिक भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली विचारकों, विधिवेत्ताओं और समाज-संशोधकों में अग्रणी हैं। उनके विचारों का केंद्र बिंदु बहुस्तरीय वंचना विशेषतः जाति, वर्ग और लिंग के उन्मूलन के लिए शिक्षा, विधि, लोकतंत्र और नैतिक मानवीयता के समन्वित प्रयोग में निहित है। यह शोध-पत्र अम्बेडकर के शैक्षिक तथा सामाजिक विचारों का बहुविमीय अध्ययन प्रस्तुत करता है। पहले खण्ड में उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि, शिक्षण-प्रशिक्षण और प्रमुख ग्रंथों का विहंगावलोकन किया गया है। दूसरे खण्ड में शिक्षा-दर्शन जैसे समान अवसर, गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक शिक्षा, तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री-शिक्षा, बहुभाषिकता तथा नैतिक-नागरिक शिक्षाकृता विश्लेषण है। तीसरे खण्ड में उनके सामाजिक विचारों जाति-उच्छेदन, समतामूलक लोकतंत्र, संवैधानिकता, श्रम-न्याय, धार्मिक-स्वतंत्रता, स्त्री समानता और मानवाधिकार का विवेचन है। चौथे खण्ड में नीतिगत निहितार्थ, समकालीन शिक्षा-सुधार, आरक्षण की संवैधानिकता, सामाजिक न्याय के उभरते मानदंड, और डिजिटल-युग की असमानताओं से निपटने के उपाय प्रस्तावित हैं। अध्ययन का निष्कर्ष यह रेखांकित करता है कि अम्बेडकर की दृष्टि केवल पीड़ित-बहुजन के उद्धार तक सीमित नहीं, बल्कि समूचे समाज के नैतिक लोकतंत्रीकरण की परियोजना है जहाँ शिक्षा ज्ञान के साथ-साथ गरिमा, बंधुता और न्याय का क्रियाशील माध्यम बनती है।

कुंजी शब्द: डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, शिक्षा-दर्शन, जाति-उच्छेदन, संवैधानिकता, सामाजिक न्याय, आरक्षण, स्त्री-स्वाधिकार, श्रम-न्याय, मानवाधिकार, नैतिक लोकतंत्र।

परिचय:

भारत के सामाजिक-ऐतिहासिक परिदृश्य में अम्बेडकर का व्यक्तित्व एक सेतु के रूप में उभरता है जो परम्परा और आधुनिकता, समाज-सुधार और संस्थागत-परिवर्तन, नैतिकता और विधि, तथा अनुभव और तर्क के बीच रचनात्मक संवाद स्थापित करता है। दलित-बहुजन की पीड़ा उनके निजी जीवन के अनुभव से निकली, पर समाधान उन्होंने सार्वभौमिक सिद्धान्तों में खोजाकृसमानता, स्वतंत्रता और बंधुता (Equality Liberty Fraternity)। यह तीनों सिद्धान्त उनके लिए केवल नारे नहीं, बल्कि नीति-निर्माण, शिक्षा-व्यवस्था, न्याय-प्रक्रिया और नागरिक-जीवन की ठोस कसौटियाँ थीं।

अम्बेडकर का शैक्षिक सफर एल्फिन्स्टन कॉलेज से कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक उन्हें विधि, अर्थशास्त्र, राजनीति-विज्ञान, समाजशास्त्र और दर्शन का अंतर्विषयी बोध देता है। परिणामतः वे जाति-व्यवस्था के आलोचक मात्र नहीं, बल्कि संवैधानिक लोकतंत्र के शिल्पकार भी हैं, जिनके लिए शिक्षा सामाजिक-परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली औजार है। यह शोध-पत्र उनके विचारों का

व्यवस्थित अध्ययन करते हुए यह प्रश्न उठता है आज के भारत जहाँ असमानता तकनीक, सूचना, भाषा और क्षेत्रीयता के नए आयाम ग्रहण कर चुकी है में अम्बेडकर की प्रासंगिकता कैसे समझी जाए?

अध्ययन के उद्देश्य:

- 1 अम्बेडकर के शिक्षा-दर्शन के प्रमुख तत्त्वों की व्याख्या।
- 2 उनके सामाजिक विचारों विशेषतः जाति-उच्छेदन, स्त्री-स्वाधिकार, श्रम-न्याय, संवैधानिकता का विश्लेषण।
- 3 समकालीन शिक्षा एवं सामाजिक-नीति के लिए निहितार्थ और अनुप्रयोग प्रस्तावित करना।

अनुसंधान प्रश्न:

- 1 अम्बेडकर की दृष्टि में "शिक्षा" का सामाजिक न्याय से क्या संबंध है?
- 2 जाति-व्यवस्था के उन्मूलन के लिए वे किन संस्थागत उपायों पर बल देते हैं?
- 3 वर्तमान संदर्भ में उनके विचारों की पुनर्पाठ-संभावनाएँ क्या हैं?

साहित्य समीक्षा एवं वैचारिक पृष्ठभूमि :

अम्बेडकरीय अध्ययन का साहित्य व्यापक है उनके मूल ग्रंथ, भाषण, संवैधानिक बहसों तथा उन पर लिखी आलोचनात्मक कृतियाँ। *Annihilation of Caste* (जाति का उच्छेद) उनकी वैचारिक नींव है, जिसमें जाति को धार्मिक-आधार पर वैधता देने वाली संरचनाओं का तर्कसंगत खंडन मिलता है। *States and Minorities Who Were the Shudras The Buddha and His Dhamma Thoughts on Linguistic States* आदि ग्रंथ उनके राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दर्शन को विस्तारित करते हैं। समकालीन शोध अम्बेडकर को तीन विमाओं में देखता है (क) सामाजिक आलोचक और आंदोलनकारी, (ख) संवैधानिक वास्तुकार, (ग) शिक्षा आर्थिक नीतियों के दूरदर्शी विचारक। कई अध्येताओं ने उनके "कान्टियन नैतिकता" और "बौद्ध करुणा" के समन्वय की ओर संकेत किया है जहाँ व्यक्ति की गरिमा सर्वोपरि है और संस्थाएँ उसी गरिमा की रक्षा के लिए उत्तरदायी हैं।

कार्यप्रणाली :

यह शोध-पत्र गुणात्मक (qualitative) और दार्शनिक-व्याख्यात्मक (hermeneutic) पद्धति का संगम है। प्राथमिक स्रोतों के रूप में अम्बेडकर-रचनावली, संविधान सभा की कार्यवाही, समसामयिक भाषण-पत्र और लेखों का अध्ययन किया गया। द्वितीयक स्रोतों में प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ और शोध-लेख सम्मिलित हैं। विश्लेषण की रणनीति "पाठ-संदर्भ-निहितार्थ" ढाँचे पर आधारित है मतलब, कथन की भाषा, ऐतिहासिक संदर्भ और आज के नीति अनुभवगत निहितार्थों का तुलनात्मक परीक्षण।

अम्बेडकर का शिक्षा-दर्शन :

शिक्षा का उद्देश्य मुक्ति और नागरिकता का सशक्तीकरण :

अम्बेडकर शिक्षा को "सामाजिक पूँजी" मानते हैं, जो वंचना की अंतरपीढ़ीगत श्रृंखलाओं को तोड़ती है। उनके अनुसार शिक्षा का अर्थ केवल साक्षरता नहीं, बल्कि "क्रिटिकल रीजन" तर्क, प्रश्न, असहमति का साहस और नैतिक निर्णय क्षमता का विकास है। शिक्षा व्यक्ति को "नागरिक" बनाती है, जो अधिकारों के साथ कर्तव्यों को समझता है और सार्वजनिक हित में भागीदारी करता है।

समान अवसर और सार्वजनिक शिक्षा :

वे संसाधन-न्याय (distributive justice) के बिना समान अवसर को खोखला मानते हैं। अतः उनका आग्रह सार्वभौमिक और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक शिक्षा पर है पूर्व-प्राथमिक से उच्चतर तक जहाँ आर्थिक-पृष्ठभूमि,

जाति, लिंग, भाषा या विकलांगता बाधा न बने। छात्रवृत्ति, छात्रावास, मध्याह्न भोजन, परिवहन सहायता, पुस्तकालय प्रयोगशाला सुविधाएँ ये सब समता-सूचक ढाँचे के अनिवार्य अंग हैं।

व्यावसायिक, तकनीकी और उच्च शिक्षा :

अम्बेडकर औद्योगिकीकरण और वैज्ञानिक चेतना के प्रबल समर्थक थे। इसलिए वे कौशल-आधारित, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की सुलभता पर जोर देते हैं, ताकि शिक्षा सीधे आजीविकीय गतिशीलता से जुड़ सके। उच्च शिक्षा में प्रतिनिधित्व बढ़ाने हेतु आरक्षण, ब्रिज-कोर्स, मेंटरिंग और अकादमिक सहयोग-तंत्र उनके दृष्टिकोण से आवश्यक हैं।

स्त्री-शिक्षा और गरिमा :

उनके सामाजिक सुधार कार्यक्रम में स्त्री-शिक्षा केंद्रीय थी। वे पितृसत्तात्मक रीति-नीति, बाल-विवाह, समानता-विरोधी धार्मिक-व्याख्याओं की तीखी आलोचना करते हैं। उनकी दृष्टि में शिक्षित स्त्री परिवार और समाज में नैतिक-लोकतांत्रिक संस्कृति की वाहक होती है।

भाषा, संस्कृति और शिक्षा :

अम्बेडकर बहुभाषिकता के साथ विज्ञान-केन्द्रित पाठ्यचर्या के पक्षधर थे। मातृभाषा में आधारभूत शिक्षा और उच्च शिक्षा में वैश्विक ज्ञान-संसाधनों से पुल बनाने के लिए अंग्रेजीअन्य अंतरराष्ट्रीय भाषाओं का प्रावधान यह दोहरा ढाँचा उनके विचार से सम्यक है।

नैतिक-नागरिक शिक्षा :

शिक्षा का अंतिम लक्ष्य "नैतिक व्यक्तित्व" का निर्माण है जहाँ बंधुता, करुणा, श्रम का सम्मान, विविधता-भाव और संवैधानिक मूल्यों का आचरण विकसित हो। वे धार्मिक-संकीर्णता की जगह तर्क-आधारित नैतिकता और बौद्ध करुणा को प्राथमिकता देते हैं।

अम्बेडकर के सामाजिक विचार :

जाति का उच्छेद तर्क, नैतिकता और कानून :

Annihilation of Caste में अम्बेडकर जाति को न केवल सामाजिक पदानुक्रम, बल्कि नैतिक-व्यक्तित्व के विखंडन का स्रोत बताते हैं। उनके समाधान बहुस्तरीय हैं (क) धार्मिक-ग्रंथाधारित असमानता की वैचारिक आलोचना, (ख) समान नागरिक अधिकारों की संवैधानिक गारंटी, (ग) सकारात्मक कार्रवाई (आरक्षण) द्वारा ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों का प्रतिनिधित्व, (घ) शिक्षा और भूमि रोजगार-संसाधनों तक पहुँच।

संवैधानिकता और लोकतंत्र :

अम्बेडकर के लिए लोकतंत्र "केवल शासन-पद्धति नहीं, जीवन-पद्धति" है। वे चेताते हैं कि सामाजिक-लोकतंत्र (जहाँ व्यक्ति-गरिमा का सम्मान हो) के बिना राजनीतिक लोकतंत्र टिकाऊ नहीं। संविधान उनके लिए तर्कशीलता का सार्वजनिक अनुबंध है जहाँ मौलिक अधिकार, समानता, धर्म-निरपेक्षता, विधि का शासन और स्वतंत्र न्यायपालिका व्यक्ति को राज्य एवं बहुसंख्यक मनमानी से सुरक्षित रखते हैं।

बंधुता (Fraternity) और नैतिक समुदाय

उन्होंने बार-बार बंधुता को लोकतंत्र की आत्मा कहा। बंधुता का अर्थ संवेदनशील सह-अस्तित्व है जहाँ विविधता संघर्ष का कारण नहीं, बल्कि साझा नागरिकता का आधार बनती है। यह शिक्षा, संस्कृति और सार्वजनिक विमर्श के माध्यम से विकसित होती है।

श्रम-न्याय और आर्थिक लोकतंत्र :

अम्बेडकर श्रमिक अधिकारों, न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, और उत्पादन-संपदा के न्यायपूर्ण वितरण के पक्षधर थे। वे "आर्थिक लोकतंत्र" को राजनीतिक लोकतंत्र का आवश्यक पूरक मानते हैं। जल, भूमि, वन, खनिज जैसी प्राकृतिक संपदा के न्यायपूर्ण प्रबंधन और नियमन-ढाँचे पर उनका बल था।

स्त्री-स्वाधिकार और पारिवारिक कानून:

हिन्दू कोड बिल के माध्यम से वे स्त्रियों को संपत्ति-अधिकार, विवाह-विच्छेद, दत्तक-संतान, और अभिभावकत्व में समानता देना चाहते थे जो उस समय अभूतपूर्व था। उनके लिए स्त्री-समानता सामाजिक लोकतंत्र की आधारशिला थी।

धर्म, नैतिकता और बौद्ध दृष्टि:

अम्बेडकर ने धर्म को नैतिकता-संवर्धक माना, पर धार्मिक अधिकारिता से उत्पन्न असमानता को अस्वीकार किया। *The Buddha and His Dhamma* में उन्होंने बौद्ध धर्म को तर्क, करुणा और समता-आधारित नैतिक परियोजना रूप में प्रस्तुत किया। कृजहाँ कर्मकाण्ड से अधिक आचरण का महत्व है।

शिक्षा और सामाजिक न्यायरू अंतर्संबंध :

अम्बेडकर के लिए शिक्षा और सामाजिक न्याय एक-दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा अधिकार-चेतना, पेशेवर दक्षता, और सामाजिक गतिशीलता प्रदान करती है वहीं सामाजिक न्याय की नीतियाँ आरक्षण, छात्रवृत्ति, प्रतिनिधित्व शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करती हैं। इस परस्पर-निर्भरता को समझे बिना न तो शिक्षा लोकतंत्रीकरण सम्भव है, न ही सामाजिक न्याय का स्थायी ढाँचा।

प्रमुख सिद्धान्तगत सूत्र :

- अभिगम सभी के लिए समान प्रवेश-मार्ग।
- गुणवत्ता विद्यालय से विश्वविद्यालय तक मानक सुधार।
- सहायता आर्थिक-सामाजिक बाधाओं को पाटने के साधन।
- प्रतिनिधित्व निर्णयकारी संस्थानों में विविधता।
- अधिदान ऐतिहासिक वंचनाओं की नीति-स्तरीय मान्यता।

नीति-निहितार्थ और अनुप्रयोग :**सार्वजनिक शिक्षा का पुनर्निर्माण :**

- आधारभूत शिक्षा में सार्वभौमिक नामांकन के साथ सीखने के परिणामों पर केन्द्रित निवेश।
- ग्रामीण हाशिये के क्षेत्रों में शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन।
- छात्रावास, परिवहन, डिजिटल-उपकरण, पुस्तकालय प्रयोगशाला सुविधाओं का विस्तार।
- बहुभाषी पाठचर्या मातृभाषा-आधारित सुदृढ़ नींव और उच्चतर स्तर पर वैश्विक भाषाओं से सेतु।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में समता :

- आरक्षण की प्रभावी क्रियान्विति, सीटें भरने हेतु ब्रिज-कोर्स रीमीडियल प्रोग्राम।
- प्रथम-पीढ़ी के शिक्षार्थियों के लिए मेंटरिंग, अकादमिक सलाह, मनोसामाजिक समर्थन।
- शोध-वृत्तियाँ, इंटरनशिप, उद्योग-साझेदारी ताकि शिक्षा-रोजगार संक्रमण सुगम हो।

डिजिटल असमानता का शमन :

- सार्वजनिक डिजिटल ढाँचा (नेट, डिवाइस, सामग्री) को "शैक्षिक अधिकार" के रूप में उपलब्ध कराना।
- ओपन-एक्सेस संसाधन, मुक्त पाठ्य-सामग्री, ऑफलाइन-समर्थित प्लेटफॉर्म।

स्त्री-शिक्षा और सुरक्षा :

- विद्यालय-से-विश्वविद्यालय तक "जेंडर रेस्पॉन्सिव" परिसरों का निर्माण।

- STEM में भागीदारी बढ़ाने के लिए लक्षित छात्रवृत्ति इंटरशिप, रोल-मॉडल नेटवर्क।

श्रम-न्याय और कौशल :

- कौशल विश्वविद्यालयों पॉलीटेक्निक का सुदृढीकरण स्थानीय उद्योग-आधारित पाठ्यचर्या।
- अप्रेंटिसशिप और क्रेडिट-आधारित माइक्रो-क्रेडेंशियल्स, ताकि काम-सीखना-उन्नयन सतत हो।

संवैधानिक नैतिकता का शिक्षण :

- स्कूल कॉलेज में संविधान-पाठ, वाद-विवाद, मॉडल संसद, कानूनी साक्षरता व्यावहारिक परियोजनाएँ।
- भेदभाव-रोधी प्रोटोकॉल और लिंग जाति विकलांगता-आधारित उत्पीड़न के त्वरित निवारण तंत्र।

विमर्श आलोचनाएँ, चुनौतियाँ और पुनर्पाठ :

कुछ आलोचकों का तर्क है कि आरक्षण "योग्यता" के विरुद्ध है अम्बेडकर इसका उत्तर "समान अवसर" की सैद्धान्तिक समझ से देते हैं जहाँ योग्यता का विकास संसाधन-समानता का फल है। ऐतिहासिक वंचना को नजरअंदाज कर "औपचारिक समानता" पर बल देना व्यावहारिक न्याय के विपरीत है। दूसरी ओर, नीति-क्रियान्वयन की चुनौतियाँ भेदभाव, ड्रॉपआउट, गुणवत्ताहीनता यह संकेत देती हैं कि अम्बेडकर की दृष्टि का सही अर्थ तभी साकार होगा जब राज्य, बाजार और नागरिक समाज की त्रयी समन्वित ढंग से काम करे।

डिजिटल पूँजीवाद और प्लेटफॉर्म-अर्थव्यवस्था ने असमानताओं के नए रूप गढ़े हैं डेटा-एकाधिकार, एल्गोरिथमिक पक्षपात, गिग-कार्य की अनिश्चितता। अम्बेडकर की "आर्थिक लोकतंत्र" की संकल्पना इन पर नए नियमन, सामाजिक सुरक्षा और श्रम-अधिकार के विस्तार का आग्रह करती है। इसी तरह, बहुसांस्कृतिक समाज में "बंधुता" का संवर्धनकृनागरिक शिक्षा, मीडिया-साक्षरता और संवाद-शीलताकृआज की केंद्रीय आवश्यकता है।

अध्ययन की सीमाएँ :

यह शोध-पत्र वैचारिक-विश्लेषण पर केन्द्रित हैय क्षेत्रीय-आधारित सांख्यिकीय परीक्षण, नीतियों के तुलनात्मक प्रभाव-मूल्यांकन और दीर्घकालिक अनुवर्ती अध्ययन भविष्य के अनुसंधान की दिशा हो सकते हैं। अम्बेडकर-ग्रंथ-समूह अत्यन्त व्यापक हैय यहाँ चयनित पाठों के आधार पर तर्क रचे गए हैं, अतः आगे का कार्य अधिक ग्रंथ-संकलन और भाष्यात्मक तुलनाओं से समृद्ध हो सकता है।

निष्कर्ष :

अम्बेडकर का शिक्षा-दर्शन व्यक्ति की गरिमा और सामूहिक नैतिकता, दोनों की एक साथ रक्षा करता है। शिक्षा उनके लिए साध्य और साधक दोनों है साधक इसलिए कि वह अवसर, कौशल, और आलोचनात्मक-बुद्धि देती हैय साध्य इसलिए कि वही समाज को न्याय, समता और बंधुता की दिशा में रूपान्तरित करती है। उनके सामाजिक विचार जाति-उच्छेदन से आगे बढ़कर संवैधानिकता, आर्थिक लोकतंत्र, स्त्री-स्वाधिकार, श्रम-न्याय और धार्मिक-स्वतंत्रता जैसे समग्र ढाँचों में प्रकट होते हैं समकालीन भारत में, जहाँ तकनीकी विकास के साथ असमानताओं के नए रूप उभरे हैं, अम्बेडकर का पुनर्पाठ इस बात का आह्वान है कि लोकतंत्र की आत्माकृबंधुता को शिक्षा के माध्यम से व्यवहार में उतारा जाए। सार्वजनिक शिक्षा का पुनर्गठन, उच्च तकनीकी शिक्षा में समता, डिजिटल अधिकार, स्त्री-शिक्षा, श्रम-सुरक्षा और संवैधानिक नैतिकता का संस्थानीकरण ये सभी कदम अम्बेडकर की दृष्टि के अनुरूप एक न्यायपूर्ण समाज की राह खोलते हैं। अंततः, अम्बेडकर हमें याद दिलाते हैं कि "मनुष्य की महत्ता" किसी भी व्यवस्था का अंतिम मानदंड हैय और शिक्षा वही है जो इस महत्ता को जानने, मानने और जीने का साहस दे।

संदर्भ सूची:

1. Ambedkar B- R- (1936)- Annihilation of Caste-
2. Ambedkar B- R- (1948)- The Buddha and His Dhamma-
3. Ambedkar B- R- (1947)- States and Minorities-
4. Ambedkar B- R- (1946)- Who Were the Shudras\
5. Ambedkar B- R- (1948–49)- Thoughts on Linguistic States-
6. Constituent Assembly Debates (1946–1950)- Official Reports-
7. Zelliot E- (1992)- From Untouchable to Dalit: Essays on the Ambedkar Movement-
8. Rodrigues V- (Ed-)- (2002) The Essential Writings of B- R- Ambedkar-
9. Omvedt G- (1994)- Dalits and the Democratic Revolution-
10. Guru G- (2009)- Humiliation: Claims and ConteÛt-
11. Jaffrelot C- (2005)- Dr- Ambedkar and Untouchability: Analysing and Fighting Caste-
12. Nussbaum M- C- (2000)- Women and Human Development: The Capabilities Approach-
13. Sen A- (1999)- Development as Freedom-
14. Béteille A- (2012)- Caste, Class and Power-